(GCF-2, GCF-3, VCF-1, VDCF-1, SCF-1)

DATE: 26.08.2021 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3 Hours

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions. Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की **धारा 69** में यह प्रावधान है कि, ''जब एक व्यक्ति द्वारा भुगतान करने में उसका हित है'', तो दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए दायी है और वह उसका भुगतान कर देता है तो वह दूसरे व्यक्ति से इसकी भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

दिये गये प्रशन में W ने Z की कानूनी रूप से देय राशि का भुगतान किया जिसके भुगतान में उसका हित है। इसलिए W , Z से दी गई राशि की भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 5(1) के अनुसार कम्पनी के अन्तर्नियम में कम्पनी के प्रबंधन के नियमन सम्बंधी प्रावधान होते है धारा 5(2) के अनुसार अन्तर्नियमों में ऐसे विषय भी शामिल होगे जो कि अधिनियम में बताये गये है एवं कम्पनी ऐसे अतिरिक्त विषय शामिल कर सकती है जो उसक प्रबंधन को आवश्यक प्रतीत हों। **{1 M}**

वकील अधिकारी को हटाया जाना – कम्पनी के पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम कम्पनी और उसके सदस्यों के लिए बाध्य होते है और वह इस बात के लिए बाध्य होते है कि इन प्रावधानों का जोकि पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम उन पर हस्ताक्षर किये होते हैं (धारा 10(1)। **{1 M}**

लेकिन कम्पनी औंर उसके सदस्य ऐसे किसी भी विषय जोकि उस कम्पनी के पार्षद सीमानियम एवं अन्तनिर्यमों के लिए वह किसी बाह्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते है यह तथ्य उस सामान्य नियम पर आधारित है जिसके अनुसार किसी अनुबंध से असम्बन्धित व्यक्ति उस अनुबंध के अधीन किसी अधिकार को प्राप्त नहीं करता है। **{1 M}**

इस उदाहरण में अन्तर्नियमों ने एक्स को यह अधिकार प्रदान किया था कि उसे केवल सिद्ध किये गये दुष्कर्म के आधार पर ही सेवा से हटाया जायेगा। उपरोक्त में वैधानिक व्याख्या के आधार पर एक्स उसको अन्तर्नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार को कम्पनी से लागू नहीं करवा सकता है। इसलिए कम्पनी की कार्यवाही (एक्स का दुष्कर्म के बिना सिद्ध किये गये हटाया जाना) वैध है **(ऐली बनाम वी. पोजिटिव गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी**, जनरल मैनेजर शान्ता शमशेर जंग बनाम कमानी ब्रॉदर्स प्राईवेट लिमिटेड) **{2 M}**

Answer:

(c) उपरोक्त मामला वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 50 से संबंधित है। जो अदत्त विक्रेता के माल को मार्ग में रोकने के अधिकार पर व्याख्या करता है।

धारा 50 के अनुसार अदत्त विक्रेता द्वारा माल को मार्ग में निम्नलिखित परिस्थिति में रोका जा सकता है।

- विक्रेता अदत्त हो,
- वस्तु पर उसका कब्जा ना हो,
- वस्तु मार्ग में हो,
- क्रेता दिवालिया हो गया हो,
- यह अधिकार, अधिनियम के अनुसार हो।

{1 M for each correct 4 points}

उपरोक्त धारा 50 के अनुसार राम 100 कपड़ों की गांठों पर जो रेलवे द्वारा भेजी गयी हैं पर माल का मार्ग में रोकने के अधिकार को प्रयोग कर सकता है। **{1 M}**

Mittal Commerce Classes

Answer 2:

(a) **साझेदारी में अवयस्क की स्थिति (Minor's Position In Partnership):–** एक अवयस्क एक फर्म में साझेदार नहीं बन सकता, परन्तु उसे सब साझेदारों की सहमति से लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अधिनियम में धारा 30 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। {1 M}

अधिकार (Rights) :– {1/2 M Each}

- यह अवयस्क को पूर्व निर्धारित भाग के लाभ तथा फर्म की सम्पत्ति में भाग प्राप्त करने का अधिकार है।
- वह फर्म के हिसाब किताब का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रति (copy) प्राप्त कर सकता है।
- वह साझेदारों पर हिसाब–किताब हेतु अथा उसे देय भाग के भुगतान के लिये केवल उस स्थिति में मुकदमा कर सकता है, जब वह फर्म से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर रहा हो अन्यथा नहीं।
- वयस्कता ग्रहण करने के छः माह के भीतर वह साझेदार बना रहे अथवा नहीं बना रहने का निर्णय कर सकता है। यदि वह साझेदार बनने का निर्णय लेता है तब फर्म की सम्पत्ति एवं लाभ में उनका हिस्सा वही रहता है, जो अवयस्कता की अवधि में था। यदि वह साझेदारी फर्म से अलग होने का निर्णय लेता है, तो जिस दिन वह सार्वजनिक सूचना देता है, उसके बाद वह फर्म के किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

दायित्व (Liabilities) :– {1/2 M for each correct point}

- अवयस्क का दायित्व फर्म की सम्पत्ति तथा लाभों के केवल उसके भाग की सीमा तक सीमित रहता है।
- उसका उसकी अवयस्कता के दौरान किये गये फर्म के ऋणों के लिए कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता।
- अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि फर्म को दिवालिया घोषित किया जाता है, तो फर्म में उसका भाग सरकारी प्रापक/हस्तान्तरी में निहित होता है।
- उसके वयस्क होने के 6 माह के भीतर या उसको इस बात की जानकारी होने कि उसको साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया गया है, जो भी तिथि बाद में आये, अवयस्क साझेदार को यह निर्णय लेना होता है कि क्या वह एक साझेदार रहेगा या फर्म को छोड़ेगा। यदि वह ऐसा नोटिस देने में भूल करता है, तो वह उक्त 6 माह के बीतने के बाद फर्म का एक साझेदार बन जायेगा।
- वह **साझेदारी के लाभों में शामिल किये जाने के बाद** किये गये फर्म के सभी कार्यो के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत तौर पर दायी हो जाता है।
- यदि वह साझेदार नहीं बनने का चयन करता है, तो उसके अधिकार तथा कर्त्तव्य ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे एक अवयस्क के रूप में रहे है। उसका भाग नोटिस की तिथि के बाद किये गये फर्म के किसी भी कार्य के लिए दायी नहीं होगा।

वह सम्पत्ति तथा लाभों में अपने भाग के लिए अन्य साझेदारों पर वाद दायर करने के लिए अधिकृत होगा। उल्लेखनीय है कि ऐसा अवयस्क रजिस्ट्रार को नोटिस देगा कि वह एक साझेदार बन गया है या साझेदार नहीं बना है।

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार यदि कोई अनुबंध व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबन्धित करता है तो ऐसा अनुबंध शून्य एवं अवैध होगा, परन्तु सेवा अनुबंध में यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी बन्धन पर सहमत है कि जब तक वह वहां पर सेवारत है वह अपने नियोक्ता की प्रतिस्पर्धा में कोई कार्य नहीं करेगा और परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कहीं और सेवा नहीं करेगा और ऐसा प्रतिबंध या रोक व्यापार या व्यवसाय पर रोक नहीं मानी जाएगी {2 M}

इसलिए X को लुधियाना में डॉक्टर के रूप में कार्य करने से रोका जा सकता है। {1 M}

Answer:

(c) इस प्रश्न में पूछी गयी समस्या वैध अनुबंध की मूल आवश्यता पर आधारित है वैध अनुबंध की मूल आवश्यताओं के अनुसार कोई भी अनुबंध ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अवैधानिक हो तथा अवैध हो या शून्य हो। अवैध अनुबंध का कोई वैधानिक या कानूनी प्रभाव नहीं होता है इसलिए कोई अनुबंध जो किसी व्यापार, विवाह या किसी वैधानिक कार्यवाही पर किसी प्रकार की रोक लगाता है वह अनुबंध शून्य और अवैध होगा। **{2 M}**

इसलिए मि. X. मि. सेठ द्वारा किए गए वायेद के रू. 5 लाख वसूल नहीं कर सकता है क्योंकि उन्हीं में एक अवैध अनुबंध किया था जिसे किसी न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। यह लोकनीति के विरूद्ध होने के कारण व्यर्थ है। **{1 M}**

Answer 3:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 41 के अनुसार जब वचनग्रहीता एक वचन का निष्पादन किसी तीसरे पक्ष से स्वीकार कर लेता है तो वह वाद में वचनदाता के विरूद्ध इसे लागू नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, वचनग्रहीता द्वारा अजनबी से निष्पादन स्वीकार करना अनुबंध के वचनदाता को मुक्त कर देता है, यद्यपि वचनदाता ने न तो तीसरे पक्ष के कार्य को अधिकृत किया था और न ही इसका पुष्टिकरण किया था। **{3 M}**

इसलिए B, A पर केवल (10,000 – 6,000) रू. 4,000 के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) हॉ। एक अनुबंध का निष्पादन आवश्यक नहीं है जब पक्ष इसके स्थान पर दूसरा अनुबंध करें अथवा इसे रद्द करे अथवा इसमें परिवर्तन करें (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62) दी गई समस्या में अनुबंध का नवीनीकरण होने के कारण पुराना अनुबंध समाप्त हो गया है, क्योंकि एक पक्ष का स्थान किसी तीसरे पक्ष ने ले लिया है। **{2 M}**

इस कारण से N, O से राशि वसूल कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) हाऊस ऑफ लॉर्ड **सैलोमन बनाम सैलोमन लि.** में निर्णय दिया कि कम्पनी अपने सदस्यों से अविच्छिन्न तथा पृथक है तथा इसलिए इसका अपने सदस्यों से, जिन्होंने कम्पनी का गठन किया है। स्वतंत्र, पृथक कानूनी अस्तित्व है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में न्यायालय निगमित अवारण को उठा सकता है। इसका अर्थ है निगमित आवरण के पीछे झॉकना तथा निगमित अस्तित्व को नहीं मानना जहॉ कम्पनी का निर्माण तथा निगमन कुछ व्यक्तियों द्वारा निगमित प्रकृति के पीछे शरण लेकर करों की चोरी करना है वहॉ न्यायालय करों की चोरी के मामले में निगमित अस्तित्व की अवमानना करें। **{2 M}**

(1) प्रश्न में पूछी गई समस्या उपर्युक्त तथ्यों पर आधारित है। करदाता ने तीन कम्पनियों का गठन करों की चोरी करने के लिए किया था तथा कम्पनियॉ करदाता से अलग कुछ भी नहीं थी। इसलिए F का इरादा कर की चोरी करने के इरादे से तीन भागों में बॉटने का था। **{1 1/2 M}**

(2) तीन निजी कम्पनियों के कानूनी व्यक्तित्व की अवमानना की जा सकती है क्योंकि इनका निर्माण केवल करों की चोरी करने के लिए किया गया था तथा कम्पनी करदाता से अधिक कुछ नहीं थी। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन केवल ब्याज तथा लाभांश की आय को प्राप्त करके उसे करदाता को कल्पित ऋण के रूप में वापस करना था। ऐसा निर्णय **सर दिनशॉ मानेकजी पेटिट** AIR 1927 बम्बई 371. **{1 1/2 M}**

Answer 4:

(a) निस्तार तथा समापन

(WINDING UP AND DISSOLUTION)

निस्तार तथा समापन (Winding Up and Dissolution) (धारा 63) – एक LLP का समापन स्वैच्छिक तौर पर या ट्रिब्युनल द्वारा हो सकता है, तथा इस प्रकार समाप्त हुई LLP समाप्त हो सकती है। **{1/2 M}**

Mittal Commerce Classes

परिस्थितियॉ जिनमें LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समाप्त किया जा सकता है (Circumstances in which LLP may be wound Up by Tribunal) (धारा 64) – एक LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समाप्त किया जा सकता है –

(अ) यदि LLP निर्णय लेती है कि LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समापन कर दिया जाये,
(ब) यदि, 6 माह से अधिक अवधि के लिए, LLP के साझेदारों की संख्या 2 से नीचे तक घट जाती है,
(स) यदि LLP अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हों,
(द) यदि LLP ने भारत की अखण्डता तथा स्वायत्ता, देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हितों के विरूद्ध काम किया है।
(ई) यदि LLP किसी पॉच निरन्तर वित्तीय वर्षो के लिए वार्षिक रिटर्न या खाता तथा शोधन क्षमता का विवरण रजिस्ट्रार के पास फाईल करने में भूल पर रही है, या
(फ) यदि ट्रिब्युनल का ऐसा मत है कि यह न्यायोचित तथा समतापूर्ण होगा कि LLP का समापन कर दिया जाये।

{1 M for each 5 points}

समापन तथा निस्तार के लिए नियम (Rules for Winding Up and Dissolution) (धारा 65) – केन्द्रीय सरकार LLP के निस्तार तथा समापन के लिये नियम एवं उपबंध बना सकती है। **{1/2 M}**

Answer:

(b) गारण्टी कम्पनी से अभिप्राय (Meaning of Gurantee Company):– जब यह प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी को सीमित दायित्व के साथ पंजीकृत करवाया जाये तो यह विकल्प उपलब्ध होता है कि कम्पनी को या तो अंश पूॅजी के आधार पर या गारण्टी के आधार पर पंजीकृत करवाया जाये। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(21) के अनुसार गारण्टी कम्पनी को उस कम्पनी के रूप में ऐसे परिभाषित करती है– ''ऐसी कम्पनी जो अपने पार्षद सीमानियम द्वारा कम्पनी के समापन के समय उस राशि को देने के लिए सहमत होते है जिसकी वह गारण्टी करते है। इस प्रकार गारण्टी कम्पनी के सदस्यों की देयता उनके द्वारा की गयी गारण्टी राशि तक ही सीमित होती है जोकि पार्षद सीमा नियम में दी गयी होती है। उन सदस्यों से उनके द्वारा गारण्टी की राशि से अधिक की मांग नही की जा सकती है कम्पनी के अर्न्तनियम मे उन सदस्यों की संख्या दी जाती है जो उस कम्पनी का पंजीकरण करवाना चाहते है। **{1 M}**

गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूॅजी आधारित कम्पनी में समानताऍ तथा भिन्नताऍ (Similarities and dis-similarities between the Guranantee company and the company baving share capital):– गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूॅजी आधारित कम्पनी में जो सामान्य गुण होता है वह है दोनों कम्पनियों का वैधानिक दायित्व तथा सीमित दायित्व का होना अंशपूॅजी आधारित कम्पनी के अंशधारक सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूॅजी के भुगतान तक ही सीमित होता है दोनों को यह तथ्य अपने पार्षद सीमा नियम में स्पष्ट रूप से लिखना होता है, लेकिन दोनों कम्पनियों में जो भिन्नता होती है वह मुख्य रूप में निम्न रूप से होती है। **{1 M}**

गारण्टी कम्पनी के सदस्यों को अपनी देयता को केवल उस समय करना होता है जब कम्पनी का विघटन हो रहा हो और उन सदस्यों को उनके द्वारा की गारण्टी राशि का भुगतान उस विघटन के समय देना होता है जोकि उन सदस्यों का दायित्व होता है पर अंश पूॅजी आधारित कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी के जीवन काल में कभी भी उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूॅजी को देने के लिए कहा जा सकता है या ऐसा तब किया जा सकता है जब कम्पनी का विघटन किया जा रहा हो। **{2 M}**

इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने नरेन्द्र कुमार अग्रवाल बनाम सरोज मालू (1995) 6 एस.सी. 114 में यह निर्धारित किया है कि किसी गारण्टी कम्पनी द्वारा किसी सदस्य द्वारा उसके हित के हस्तान्तरित करने से मना करना अंश पूॅजी आधारित कम्पनी के सदस्य द्वारा अपने हित का हस्तान्तरण से बिल्कुल भिन्न होता है गारण्टी कम्पनी की सदस्यता से मिलने वाले लाभ–हित किसी साधारण अंश पूॅजी धारक को मिलने वाले लाभ हितों से बिल्कुल भिन्न होते है और गारण्टी कम्पनी की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वह कम्पनी ने अपने सदस्यों से कोई पूॅजी नहीं उगाही है इसलिए ऐसी कम्पनी वहीं पर उपयोगी हो सकती है जहॉ पर कार्यशीलता कोष की आवश्यकता नहीं होती है और यह धनराशि अन्य साधन जैसे कोई न्यायसीधन, फीस, प्रभार, दान से उगाही जा सकती है। **{2 M}**

Mittal Commerce Classes

Answer 5:

(a) इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या एक पंजीकृत फर्म के (जिसके व्यापार को उसके एक साझेदार की मृत्यु के पश्चात समापन के पश्चात जारी रखा जाता है) शेष साझेदारों द्वारा, उस स्थिति के पश्चात् किये गये व्यवहार अथवा सौदों के सम्बन्ध में, फर्म के पंजीयक को फर्म की संरचना में परिवर्तन के विषय में सूचित किये बिना, मुकदमा किया जा सकता है, शेष साझेदारों द्वारा कथित रूप से बाद में किये गये व्यवहार अथवा सौदों के विषय में मुकदमा किया जा सकता है, शेष को दोबारा उसके कथित समापन के पश्चात् पंजीकृत नहीं किया गया था ओर उक्त साझेदार के विषय में कोई नोटिस पंजीयक को नहीं दिया गया था और उक्त साझेदार के विषय में कोई नोटिस पंजीयक को नहीं दिया गया था। **{2 M}**

इन समस्त मामलों में जो परीक्षण लागू किया गया था वह यह था कि क्या वादी ने दो आवश्यकताओं को पूर्ण किया था :–

(i) मुकदमा उस फर्म के द्वारा अथवा उसके आधार पर किया गया हो जो, पंजीकृत की गई थी

(ii) जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया है, उसे फर्म के रजिस्टर में साझेदार के रूप में दिखाया गया था। **{2 M}**

उत्तर :– अतः हम कह सकते है कि :–

इस मामलें में B और C के द्वारा X के विरूद्ध मुकदमा किया जा सकता है।

अब उपरोक्त उदाहरण में यदि 1972 में B और C ने एक साझेदार D को शामिल कर लिया था और उसके पश्चात् X के विरूद्ध बिना पंजीकरण कराये मुकदमा किया था।

उत्तर :–

इस मामलें में पहली शर्त संतुष्ट हुई है पर दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वाद प्रस्तुत किया था, उसका नाम रजिस्ट्रार के फर्म के रजिस्टर में साझेदार के रूप में प्रदर्शित नहीं था। **{2 M}**

Answer:

(b) निम्नलिखित परिस्थितियों में शर्त भंग होने के कारण भी अनुबन्ध का परित्याग नहीं किया जा सकता।

(i) जब क्रेता किसी शर्त का अनुपालन बिल्कुल छोड़ देता है, तब एक पक्ष अपने लाभ के लिए उक्त बन्धन का परित्याग कर सकता है,

(ii) जब क्रेता शर्त को भंग करने की स्थिति को आश्वासन की स्थिति के रूप में मानने का चुनाव करता है अर्थात् वह अनुबन्ध को रद्द करने क स्थान पर मात्र हर्जाने का दावा करता है, अथवा

(iii) जब अनुबन्ध विभाजन योग्य नहीं है और क्रेता ने या तो समस्त माल को स्वीकार कर लिया है अथवा उसके भाग को स्वीकार किया है।

(iv) जब किसी शर्त अथवा आश्वासन को पूरा किये जाने में कानून के द्वारा असम्भावना अथवा अन्यथा के कारण छूट दे सकते हैं।

{1 M for each 4 points}

Answer:

(c) इस मामले में वैध अनुबध उत्पन्न हो गया, जैसे ही J ने रू. एक वाले 3 सिक्के प्लेटफॉर्म मशीन में डाले, यह मशीन के मालिक द्वारा J को गर्भित प्रस्ताव की स्वीकृति माना जायेगा। **{2 M}**

Answer 6:

(a) कम्पनी नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार जब तक एक सदस्य कम्पनी को पंजीकृत हुए 2 वर्ष नहीं हो जाते तब तक वह अन्य किसी कम्पनी में परिवर्तित नहीं हो सकती सिवाय यदि कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रू. से ज्यादा हो जाये अथवा कम्पनी का टर्नओवर जो की औसत वार्षिक टर्नओवर होगा वो 2 करोड से ज्यादा हो जाये। **{2 M}**

दी गई समस्या में मि. अनिल ने एक एकल व्यक्ति कम्पनी 16 अप्रेल 2018 को बनाई है, और इसका वार्षिक आर्वत (Turnover) 2.25 करोड़ है, जबकि कम्पनी को बने हुए 2 साल का समय नहीं हुआ है परन्तु इसका वार्षिक औसत आर्वत (Turnover) 16 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में 2 करोड़ से ज्यादा है। मि. अनिल इसलिये इस कम्पनी को निजी कम्पनी में सुनील के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। **{2 M}**

Mittal Commerce Classes

Answer:

(b) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 37 के अनुसार – ''यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या साझेदार नही रहता और खातों का निपटारा नही किया जाता है तो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी और सेवानिवृत साझेदार को दो अधिकार मिलेगें:–
1. वह लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकता।
2. 60 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले सकता है। (जो भी लाभदायक हो) **{2 M}**

– इस मामले में A के उत्तराधिकारी के पास दो विकल्प होगे
A. 20 प्रतिशत लाभ में हिस्सा ले लो (साझेदारी संलेख के अनुसार) अथवा
B. 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले सकता है। **{2 M}**

Answer:

(c) फर्म के समापन व साझेदारी के समापन में अन्तर:–

क्र. स.	अन्तर का आधार	फर्म का समापन	साझेदारी का समापन
1	व्यवसाय का चलते रहना	यह साझेदारी में व्यवसाय के अवरूद्ध होने का समावेश करता है।	यह व्यवसाय के चलते रहने को प्रभावित नहीं करता। यह केवल फर्म के पुनर्गठन का ही समावेश करता है।
2	समापन	यह फर्म के समापन का समावेश करता है तथा सम्पत्तियों की वसूली तथा दायित्वों के निपटान की अपेक्षा करता है।	यह केवल पुनर्गठन का ही समावेश करता है तथा केवल फर्म के दायित्वों एवं सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की ही अपेक्षा करता है।
3	न्यायालय का आदेश	एक फर्म को न्यायालय के आदेश द्वारा समाप्त किया जा सकता है।	साझेदारी का समापन न्यायालय द्वारा इसका आदेश नहीं किया जा सकता है।
4	क्षेत्र	यह अनिवार्यतः साझेदारी के समापन का समावेश करता है।	यह फर्म के समापन का समावेश कर सकता है या नहीं कर सकता है।
5	पुस्तकों को अन्ततः बन्द करना	यह फर्म की पुस्तकों के अन्तिम बन्द होने का समावेश करता है।	यह पुस्तकों के अन्तिम बन्द किये जाने का समावेश नहीं करता।

{1 M for each 4 points}

Mittal Commerce Classes

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) Passage-2

(1) Option c
(2) Option b
(3) Option a
(4) Option d
(5) Option b

{Each 1 Mark}

Answer:

(b) Passage -1

Ministry's Decision Revoked (Heading) **{1 M}**

(I) S. Korean steel maker Posco under attack
(II) Prpsl for steel plant in Odisha rcnsdrd
(III) Need to rethink the descn
- (a) Not based on solid grounds
- (b) FDI's
- (c) Land aqstn from natives nt easy
- (d) Protests frm land holders

(IV) No concrete result
- (a) 8 years past; standstill
- (b) Neither prpnt nor govt. able to justify its moves
- (c) Leaves the matter open ended.

{1/2 Mark Each}

Key Used:

(1) S= south
(2) Prpsl= proposal
(3) Rcnsdrd=reconsidered
(4) Descn= decision
(5) Aqstn- acquisition
(6) Nt= not
(7) Frm= from
(8) Prpnt=proponent
(9) Govt= government.
(10) FDI= foreign direct investment.

{2 M}

Answer 8:

(a) Barriers in communication:

- Physical Barriers
- Cultural Barriers
- Language Barriers
- Technology Barriers
- Emotional Barriers

{1 M}

Technology Barriers: Being a technology driven world, all communication is dependent on good and extensive use of technology. However, there might arise technical issues, like server crash, overload of information etc which lead to miscommunication or no communication at all. **{1 M}**

Mittal Commerce Classes

Language Barriers: It's a cosmopolitan set up, where people of different nationalities move from their home to other countries for work. As a result, it is difficult to have a common language for communication. Hence, diversity gives rise to many languages and it acts as a barrier at times. **{1 M}**

Answer 8 (b):

(i) Direct to Indirect Speech:

The athlete said that he could break all records }**(1 Mark)**

Answer:

(ii) Synonyms

Option c }**(1 Mark)**

Answer:

(c) Television: Bane or Boon (Title) **{1 M}**

Television affects our lives in several ways. We should choose the shows carefully. Television increases our knowledge It helps us to understand many fields of study. **{2 M}**

It benefits and people and patients. There are some disadvantages too some people devote a long time to it. Students leave their studies and it distracts their attention. **{2 M}**

Answer 9:

(a) Vertical Network and Wheel & Spoke Network.

Vertical Network	Wheel and Spoke Network
A formal network. It is usually between a higher ranking employee and a subordinate.	A network with a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees working under him/her. **{1 M}**
A two way communication happens	Two way communication happens but useful only in small organizations. **{1 M}**

Answer 9(b):

(i) Idioms

Option c }**(1 Mark)**

Answer:

(ii) Passive to Active:

The school authorities declared the results }**(1 Mark)**

Answer:

(iii) Antonyms

Option d }**(1 Mark)**

Answer :

(c)

CIRCULAR

Circular No. XXXIV Dec 31, 2018

NEW YEAR PARTY **{1 M}**

For all employees

Wishing All a very Happy, prosperous and productive New Year 2019. A New Year party is being organized in the office premises on the coming weekend (Jan 5, 2019) at 7 PM. Everyone is cordially invited with their families. **{2 M}**

Mittal Commerce Classes

The events would be as follows:

- Live performance by the pop band 'ASD'
- Couple Dance competition
- Stand up Comedy
- Surprise Gifts for kids
- Lucky Draw
- Buffet Dinner with special buffet for the kids Looking forward to an active participation.

Romi Mistry Manager, HR

{2 M}

Answer 10:

(a) Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions through speech, signals, writing, or behavior. **{1 M}**

Communication is relevant in daily life as we experience it in all walks of life. While talking to friends, family and office colleagues, while passing on a piece of information, while starting a campaign or a protest march; at every step we want to communicate a message. The audience differs and the purpose differs; yet communication happens. **{1 M}**

Answer:

(b) Fill in the blanks:

(i) Option c
(ii) Option b
(iii) Option a

{1 Mark Each}

Answer:

(c) Seema Solanki

Format for a Resume showing years of experience

- Name and contact details
- Objective Summary:
- Career Summary
- Experience
- Company 1 Job title
  - Responsibilities/Achievements
- Company 2 Job title
  - Responsibilities/Achievements
- Educational Details
- Hobbies and Interests
- Signature
- References with their phone numbers

Objective Summary: seeking leadership roles and making a meaningful impact on the growth of the organization.

Career Summary: Have been associated with firms with an employee size of around 1200. I have a rich experience in costing and finance operations. My expertise lies in handling cash flow and pay rolls process.

Company Name 1 Job title: Analyst

Job Responsibilities:

- Handling finance operations and determining major financial objectives.
- Supervising monthly financials

Each Point 1/2 Mark

Mittal Commerce Classes

- Deducing cost feasibility of cost based projects Company Name 2

Job title: Manager/Sr. Consultant Job Responsibilities:

- Designing and implementing cost effectives techniques, policies and procedures to enhance financial growth.
- Managing pay rolls: computations of salaries, TDS, PPF
- Heading a six member team, handling daily basis output and ACR's.

Educational details

(Pointers as follows)

School, class Xth and XIIth marks/grades

College/University: B.Com

ICAI, Mumbai : CA

Answer 11:

(a) **Chain of Command**: The communication pattern that follows the chain of command from the senior to the junior is called the chain network. Communication starts at the top, like from a CEO, and works its way down to the different levels of employees. It involves a lot of organizational hierarchy. **{2 M}**

Drawbacks: The chain network often takes up time, and communication may not be clear. It creates a lot of miscommunication as the message travels a long path. **{1 M}**

Answer:

(b) Active to Passive:

(i) Many battles were fought by Rana Pratap

(ii) Football matches are watched by people late night.

{1 Mark Each}

Answer:

(c) Date: Jan 2, 2019

Venue: Conference Hall, 3rd Floor

Meeting started at 11 : 00 AM.

In attendance : Mr. BNM Managing Director, Mr. ASD Head , Sales and Marketing, Mr. FGH, Product Head, Mr. JKL Plant Head, two Senior Consultants from QWE Consulting and Market Research, three members of the Sales team

Mr. FGH, Product Head

- Introduced the agenda
- Demonstrated the prototype of the new product
- Explained the utility and target customers
- Existing Variants in the market vs variants to be introduced by the company in 6 months time

Mr. JKL, Plant Head

- Discussed preparedness for mass manufacturing of the new product
- Discussed potential vendors to manufacture the variants

Mr. VBN Senior Consultant, QWE Consulting and Market Research

- Discussed marketing strategy for product launch
- Discussed media advertising for product promotion

Mr. ASD Head, Sales and Marketing, Mr. RTY Executive, Sales Team

- Presented the estimated demand and sales figures for first quarter (initial 3 months after launch)
- Discussed feedback received from the sample customers

Each Point 1/2 Mark

Mittal Commerce Classes

All the participants consented to submit their observations and reports to Mr. BNM Managing Director, Mr. ASD Head, Sales and Marketing,
The Head of Sales and Marketing proposed a vote of thanks and declared the next meeting to discuss reports to be held on Feb 4, 2019.
ATR to be submitted by Jan 25, 2019 to the Head of Sales and Marketing.

__**__

Mittal Commerce Classes